न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 214/2008 निर्णय दिनांक 27.12.2019

भेराराम उर्फ भेरूदान पुत्र भींयाराम पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

————वादी

वनाम

1 रामकुंवारी पत्नी भंवरलाल 2 मांगीलाल पुत्र भंवरलाल पुरोहित निवासीगण तोलियासर हाल निवासी पोस्ट बमबोर तहसील व जिला जोधपुर 3 कमला पुत्री भंवरलाल पत्नी पहाडसिंह पुत्र हरीसिंह जाति पुरोहित निवासी झावरा तहसील पोकरण जिला जेसलमेर 4 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ 5 उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय श्री डूँगरगढ

———प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री ओमप्रकाष पंवार अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री मोहनलाल सोनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में भैराराम उर्फ भैरूदान ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादिनी संख्या 1 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दादा रामूराम पुत्र सालगराम जाति पुरोहित के नाम से एक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 604 तादादी 31 बीघा 17 बिस्वा रोही ग्राम तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर में स्थित है । रामूराम पुत्र सालगराम पुरोहित ने अपने जीवन काल में खेत खसरा नम्बर 604 तादादी 31 बीघा 17 बिस्वा रोही तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ में से 16 बीघा भूमि दिनांक 9.6.1966 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी भैराराम उर्फ भैरूंदान जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ को विक्रय कर दिया व वादी को कब्जा संभला दिया । वादी का उक्त खरीदशुदा खेत पर दिनांक 9.6.1966 से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर के नाम उक्त खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा गलत रूप से इन्तकाल दर्ज हो गया था । भंवरलाल की मृत्यु हो गया है । भंवरलाल व प्रतिवादीगण तोलियासर गांव छोडकर बम्बोर तहसील व जिला जोधपुर में रिहायश करने लग गये थे । भंवरलाल अपने जीवनकाल में वादी से कहता रहा की उक्त भूमि मेरे नाम से गलत इन्तकाल दर्ज हो गई है । आप रिकार्ड दुरूस्त करवा कर खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा भूमि अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लें । भॅवरलाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई और प्रतिवादीगण दिनांक 1.9.2008 को गांव तोलियासर आये और धमकी दी कि उक्त खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा भूमि मेरे पति व पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । हम उक्त भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देंगे । वादी राजस्व विभाग के लगने वाले केम्पों में बार बार गया तो कैम्प में वादी को कहा गया कि आपके द्वारा खरीद की गई भूमि का विक्रय विलेख बहुत पुराना हो गया है । हम अपने राजस्व रेकार्ड में आपका नाम इन्तकाल दर्ज नहीं कर सकते आप दावाकरके इन्तकाल दर्ज करवायें । वादगत खेत खसरानम्बर 604/1

Scanned by CamScanner

तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4.0600 हैक्टयर परवादी का दिनाक 9.6.1966 से ही कब्जा काष्त चला आ रहा है 1 प्रतिवादीगण गांव बम्बोर तहसील व जिला जोधपुर में रहते है । जिनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादी ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद करने की दिनांक 9.6.1966 से खातेदार कानूनन हो जाता है । परन्तु राजस्व अधिकारियों ने गलती से वादगत खेत प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता के नाम अंकित कर दिया । जबकि वादगत खेत की खातेदारी कानूनन वादी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी । उक्त भूमि पर दिनांक 9.6.1966 से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसलिये वादी के लिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड करवाना आवश्यक हो गया है । वादगत खेत खरीदशुदा खेत है व वादी को प्रतिवादीगण ने दिनांक 1.9.2008 को धमकी दी कि वे वादगत खेत को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देंगे और तुम्हें इस खेत से बेदखल कर देंगे । वादी शांतिप्रिय व्यक्ति है वह कानून में बिष्वास करने वाला व्यक्ति है । वह प्रतिवादीगण का बलपूर्वक मुकाबला करने में सक्षम नहीं है । प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वह राजस्व रेकार्ड का फायदा उठाते हुये वादगत खेत किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय कर देंगे वादी ने प्रतिवादी को समझाया कि वह उसके खरीदशुदा खेत को विक्रय नहीं करे तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये । प्रतिवादीगण के इस नाजायज व दोषपूर्ण कृत्य को रूकवाने हेतु उन्हें जरिये चिरनिषेधाज्ञा द्वारा वर्जित किया जाना आसवश्यक हो गया है । अन्यथा वह इस मकसद में कामयाब हो जयेंगे । अतः यही दावे का कारण है । वादी को दावाधिकार उक्त भूमि खरीदशुदा होने से प्राप्त है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

(क) घोषित किया जावे कि वादी वादगत खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4.0600 हक्टयर रोही तोलियासर तहसील श्री डूॅगरगढ का खातेदार कृषक है । तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज किया जावें ।

(ख) वादगत खेत खसरा नम्बर 601/1 तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4.0600 हैक्टयर रोही तोलियासर तहसील श्री डूॅगरगढ राजस्व रिकाड में से भंवरलाल का नाम हटाकर वादी का नाम खातेदार दर्ज करने का प्रतिवादी संख्या 4 को आदेश दिया जावें ।

(ग) प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4. 0600 हैक्टयर राही तोलियासर तहसील श्री डूॅगरगढ की भूमि को किसी प्रकार से विक्रय हस्तान्तरण ादि न करे, ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन करें, ना ही वादी कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी या बाधा उत्पन्न करें, ना ही कोई इस प्रकार का कृत्य या अपकृत्य कारित करें जिससे वादी के अधिकारों पर कोई विपरीत असर पडें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि विक्रय पत्र दिनांक 9.6.1966 का बताया गया है । इस विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया है । दावा किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद नहीं है । इतने समय के बाद घोषणात्मक दावा चलने योग्य नहीं है । वादी का वादगत खेत पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । इसलिए भी दावा चलने योग्य नहीं है । हम

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का वादगत खेत पर कब्जा काश्त शुरू से चला आ रहा है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी हम प्रतिवादीगण इस खेत के खातेदार है । वादी का दावा चलने योग्य नहीं है । स्व. रामूराम सीधा साधा व भोला भाला आदमी था । इस भोलेपन का वादी ने नाजायज फायदा उठाकर धोखे से विक्रय पत्र करवाया, जिस बाबत जब स्व. रामूराम को पता चला तब गांव से इस बाबत पंचायती हुई तब वादी ने अपनी गलती मानी और कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं इस विक्रय पत्र के आधार पर कोई इंतकाल नहीं चढवाउंगा और ना ही खेत पर कब्जा करूंगा । मैं विक्रय पत्र को प्रभावहीन मान लूंगा और विक्रय पत्र के आधार पर कोई क्लेम नहीं करूंगा । उपरोक्त बातें पंचायत मे तय हो गई थी और इसलिये वादी ने इंतकाल की कार्यवाही नहीं की और ना ही वादी के नाम इंतकाल दर्ज हुआ क्योकि विक्रय पत्र धोखे से कराया गया था और ना ही वादी का वादगत खेत पर कब्जा कराया गया था । वादी का वादगत खेत पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा । वादी जब तक विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से ही व वैद्य करार नहीं करा देता तब तक दावा चलने योग्य है । वादी के मन में लालच आ गया है और वो इस खेत को हम प्रतिवादीगण से हडप करनाचाहता है । अतः वादी का दावा मय खर्चे खारिज फरमाया जावें ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तनकीहात कायम की गई –

1. आया कि घोषित किया जावे कि वादी वादगत खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4.06 हैक्टयर रोही तोलियासर तहसील श्री डूंगरगढ खातेदार कृषक है ? तदनुसार राजस्व रिकार्ड में भी अंकन किया जावें ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर रखा गया था । वादी द्वारा अपने साक्ष्य पीडब्ल्यू–1 के साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों को प्रदर्शित कर सिद्ध किया है । प्रतिवादी इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

2. आया कि वादगत का खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4.06 हैक्टयर वाके रोही तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रेकार्ड मेंसे भंवरलाल का नाम हटाया जाकर वादी का नाम खातेदार दर्ज किया जावें ।

इस तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादी पर रखा गया था । वादी ने अपने समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु साक्ष्य पेश किया जबकि प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया । अतः यह तनकी वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

3 आया कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि खेत खसरा नम्बर 604/1 तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4.06 हैक्टयर रोही तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ की भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरण आदि ना करें ना ही राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन करें, ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी या बाधा उत्पन्न करें, ना ही कोई इस प्रकार का कृत्य या अपकृत्य कारित करें जिससे वादी के अधिकारों पर विपरीत असर पडे ।

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी ने अपने साक्ष्यों से व दस्तावेजों से सिद्ध किया है जबकि प्रतिवादी की तरफ से कोई भी दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं हुआ अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

4. आया वादी का दावा अन्दर मियाद नहीं है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया था । प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं हुए अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

5. आया वादी का वादगत खेत पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया था । प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं हुए अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

6. आया वादी जब तक विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से सही व वैद्य करार नहीं करा लेता तब तक दावा चलने योग्य नहीं है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया था । प्रतिवादी की तरफ से कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं हुए अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 601/1 तादादी 16 बीघा नया खसरा नम्बर 726 तादादी 4.0600 हैक्टयर रोही तोलियासर तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व रिकार्ड में से भंवरलाल का नाम हटाकर वादी का नाम खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार श्री डूँगरगढ को निर्देशित किया जाता है । तहसीलदार, तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल के स्थान पर वादी का नाम अंकित करें । प्रतिवादीगणों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें । डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2020.02.10 11:29:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: